न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/02/2023	2023/38	07.02.2023	03.09.2024

1. पंचायत समिति लक्ष्मणगढ अलवर जरिये विकास अधिकारी।

— निगरानीकार

बनाम

1. नत्थी गुर्जर पुत्र नारायण गुर्जर जाति गुर्जर निवासी खेडली चन्द्रावत।
2. ग्राम पंचायत नांगल खानजादी, तहसील लक्ष्मणगढ जरिये सचिव/सरपंच।

— गैरनिगरानीकार

निगरानी अन्तगर्त धारा 97 (1) राज० पंचायती राज० अधिनियम 1994 विरूध बर खिलाफ आज्ञा ग्राम पंचायत नांगल खानजादी दिनाक 5.7.2004 संकल्प स० 2 जिसके द्वारा गैर निगराकार स० 2 ने गैर निगराकार सु० 1 को गैरकानूनी रूप से पट्टा जारी किया है को निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः—

01. श्री पंकज शर्मा — वकील निगरानीकार

—:: निर्णय ::—

निगरानी अन्तगर्त धारा 97 (1) राज० पंचायती राज० अधिनियम 1994 विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत नांगल खानजादी दिनाक 5.7.2004 से व्यथित होकर यह अपील अन्दर मियाद अदालत श्रीमान में प्रस्तुत की जा रही है निगरानी हाजा के निस्तारण हेतु प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 ने गैरनिगरकार स० 2 के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि मैं नत्थी गुर्जर पुत्र नारायण गुर्जर ग्राम खेडली चन्द्रावत का मूल निवासी हूँ मेरे स्वंय का एक मकान है जिसका पट्टा लेना चाहता हूँ अतः आपसे निवेदन है कि मुझे मेरे मकान का पट्टा जारी करने की कृप्या करे। जिस पर गैरनिगराकार स० 2 ने दिनाक 5.7.2004 को प्रस्ताव स० 3 लेकर पट्टा जारी कर दिया जिस आज्ञा के विरूध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। गैरनिगराकर स० 2 ने उक्त पट्टा कतई नियम विरूध जारी किया है तथा पंचायती राज० अधि० व राजस्थान पंचायती राज० नियमो की पूर्णतः अनदेखी व उपेक्षा करते हुये पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज० नियम 1996 के नियम 140 मे आबादी भूमि का विकय उल्लेखित है किसी भी व्यक्ति को विना विकय भूमि का पट्टा जारी करने का प्रावधान नही है, केवल नियम 157 मे पुराने गृहो के विनियमितीकरण का प्रावधान है, प्रश्नगत प्रकरण मे जो प्रार्थना पत्र गैरनिगराकार स० 1 ने गैरनिगराकार स० 2 के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर गैरनिगकार का कब्जा कव से है उसने प्रार्थना पत्र में कही भी अकिंत नही किया है और मौका निरिक्षण कमेटी द्वारा भी अपनी रिर्पोट मे अकिंत नही किया है कि गैरनिगराकार का कब्जा कब से है।

ग्राम पंचायत केवल पुराने गृहो का ही पट्टा जारी कर सकती है जो भी 50 वर्ष के कब्जे के आधार पर जारी किया जा खाली सकता है। लेकिन ग्गाम पंचायत द्वारा भूखण्डो/खाली जगह का पट्टा जारी नही किया जा सकता है जबकि प्रश्नगत प्रकरण मे गैरनिगराकार स० 2 द्वारा मकान का पट्टा जारी किये जाने का निवेदन किया जबकि मौके पर मकान ना होकर भूखण्ड है। जांच रिर्पोट से भी जाहिर है कि मौके पर मकान नही है खाली भूखण्ड है जो नियम विरूध जारी किया गया है तथा पट्टा भी 3139 वर्गफुट भूमि का जारी किया गया है जबकि ग्राम पंचायत को 300 वर्गगज से ज्यादा का पट्टा जारी करने का कोई

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अधिकार नही है। तथा 300 वर्गगज से अधिक भूमि पर डी एल सी रेट के हिसाब से 25 प्रतिशत कीमत/शुल्क देय होता है जो भी शुल्क भी नहीं लिया गया है तथा पड़त प्लाट का पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज० का नियम 157 का प्रावधान पुराने गृहो की बाबत है। पट्टा हेतू प्राप्त आवेदन का उल्लेख नियम 146 के तहत प्रारूप 21 मे रजिस्ट्रर किया जायेगा जो नही किया गया है। राज० पंचायती राज नियम 1996 के नियम 168 (1) मे पट्टा बही का संधारण करेगा जो नही किया गया है। प्रत्येक पट्टे की तीसरी परत नियम 168 (3) के तहत पंचायत समितियो को भेजी जायेगी जो नही भेजी गई है। गैरनिगराकार स० 2 ने उजदारी पर आपत्ति मांगने का जो राज० पंचायती राज० के नियम 148 के तहत एक मास का समय दिया जाना आवश्यक है जो समय भी नही दिया गया। इसलिए पट्टा कानूनी प्रावधानो के विपरित होने के कारण काबिल खारिज है।

राजस्थान पंचायती राज० अधिनियम की धारा 97 (1) मे निगरानी बाबत कोई मियाद प्रावधित नही है। उक्त अवैधानिकता की जानकारी होते ही यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्गाम पंचायत नांगल खानजादी द्वारा प्रस्ताव दिनाक 5.7.2004 संकल्प स0 03 जिसके द्वारा गैर निगराकार स० 2 ने जमीन का पट्टा जारी किया है को निरस्त किये जाने के आदेश सादिर फरमाये। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनिगरानीकार की विधिवत तामील होकर पत्रावली में संलग्न है। गैर निगरानीकार बाबजूद विधिवत तामील अनुपस्थित।

वकील निगरानीकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील निगरानीकार द्वारा अंकन कराया गया कि उक्त पट्टे की वर्णित आराजी एवं पट्टा आबादी भूमि में नहीं है। पंचायती राज एक्ट के नियम 157 की पालना नहीं की गई है। नियमों के विरूद्ध जाके पट्टा जारी किया गया है। बहस पूर्ण।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन व अध्ययन किया गया। वकील निगरानीकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध ग्राम विकास अधिकारी के पत्र दिनांक 01.07.2024 में अंकित है कि उक्त विवादित भूमि पंचायत की आबादी भूमि नहीं है। अन्य नियमों का भी उल्लंघन पाया है। प्रथम दृष्टया ही निगरानी स्वीकार योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अनिगरानीकार संख्या 02 (ग्राम पंचायत नांगल खानजादी) द्वारा पारित आदेश 05.07.2004 संकल्प संख्या 03 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान
सरकार